भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1406

28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

1406. **श्री अनुराग शर्माः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की मुख्य विशेषताओं, उद्देश्यों, वित्तीय परिव्यय और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, और इसके अंतर्गत शामिल इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणियां और इसके अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के शुभारंभ के बाद से उक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रोत्साहनों, लाभार्थियों की संख्या समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों और तैनात की गई ई-बसों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेजी लाने, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने, वाहनों के उत्सर्जन को कम करने और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के संबंध में उक्त योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी विनिर्माण और पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप में अपनाने को बढ़ावा देने और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए टियर-।। और टियर-।।। शहरों तथा आकांक्षी क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): पीएम ई-ड्राइव स्कीम की प्रमुख विशेषताएँ, उद्देश्य, वित्तीय परिव्यय, वर्तमान स्थिति तथा इसके अंतर्गत शामिल की गई ईवी की श्रेणियों एवं प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन का विवरण निम्नानुसार है:

(i) पीएम ई-ड्राइव स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में ईवी को तीव्र गति से अपनाने को प्रोत्साहित करना, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना तथा देश में ईवी विनिर्माण पारितंत्र का विकास करना है।

(ii) इस स्कीम का कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है।

(iii) स्कीम के अंतर्गत शामिल ईवी की श्रेणियाँ तथा उन पर लागू प्रोत्साहन की दरें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं:

<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>वित्त वर्ष 2024-25</th><th>वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2027-28</th></tr>
<tr><td>ई-दुपहिया</td><td>5,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 10,000 रुपए*</td><td>2,500 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 5,000 रुपए (31.07.2026 तक)*</td></tr>
<tr><td>ई-तिपहिया (पंजीकृत ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट)</td><td>5,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 25,000 रुपए*</td><td>2,500 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 12,500 रुपए*</td></tr>
<tr><td>ई-तिपहिया (एल-5)</td><td>5,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 50,000 रुपए (07.11.2024 तक)*</td><td>2,500 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, प्रति वाहन अधिकतम 25,000 रुपए (08.11.2024 से 26.12.2025 तक)*</td></tr>
<tr><td colspan="3">*साथ ही ई-दुपहिया/ई-तिपहिया के लिए प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा एक्स-फैक्टरी मूल्य के 15 प्रतिशत तक की गई है।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ई-ट्रक</td><td>-</td><td>5,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, एक्स-फैक्टरी मूल्य (ट्रेलर को छोड़कर) के अधिकतम 10 प्रतिशत तक#</td></tr>
<tr><td colspan="2">#ई-ट्रक के लिए प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका के अनुसार ई-ट्रक के जीवीडब्ल्यू के आधार पर निर्धारित की गई है।
<table>
<tr><th>जीवीडब्ल्यू (टन)</th><th>>3.5 एवं <=7.5</th><th>>7.5 एवं <=12</th><th>>12 एवं <=18.5</th><th>>18.5 एवं <=35</th><th>>35 एवं <=55</th></tr>
<tr><td>प्रति ई-ट्रक अधिकतम प्रोत्साहन (लाख रुपए)</td><td>2.7</td><td>3.6</td><td>7.8</td><td>9.6</td><td>9.3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ई-एम्बुलेंस</td><td>-</td><td>30,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अधिकतम 35 प्रतिशत तक</td></tr>
<tr><td>ई-बस</td><td colspan="2">10,000 रुपए प्रति केडब्ल्यूएच, वाहन की लागत (सीईएसएल द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार) के अधिकतम 20 प्रतिशत तक तथा ई-बस की लंबाई के आधार पर अधिकतम प्रोत्साहन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:
लंबाई >10 मीटर एवं ≤12 मीटर : प्रति ई-बस 35,00,000 रुपए
लंबाई >8 मीटर एवं ≤10 मीटर : प्रति ई-बस 25,00,000 रुपए
लंबाई >6 मीटर एवं ≤8 मीटर : प्रति ई-बस 20,00,000 रुपए</td></tr>
</table>

(iv) वर्तमान स्थिति: स्कीम को दिनांक 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था तथा ईएमपीएस-2024 के पीएम ई-ड्राइव स्कीम में समाहित किए जाने के फलस्वरूप इसे दिनांक

01.04.2024 से लागू किया गया। वर्तमान में स्कीम का कार्यान्वयन 31 मार्च, 2028 तक किया जा रहा है, ई-दुपहिया श्रेणी के लिए अंतिम तिथि 31.07.2026 है तथा ई-तिपहिया (एल-5) श्रेणी के लिए स्कीम दिनांक 26.12.2025 को बंद कर दी गई है। स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त ईवी का विवरण निम्नानुसार है:

(22.07.2026 के अनुसार)

श्रेणी	**प्रोत्साहन प्राप्त ईवी की संख्या**	**ओईएम को प्रतिपूर्ति की गई प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए)**
ई-दुपहिया	20,56,831	1,505.30
ई-तिपहिया: ई-रिक्शा/ई-कार्ट	5,082	7.61
ई-तिपहिया: एल-5	2,60,965	769.02
कुल	**23,22,878**	**2,281.94**

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन श्रेणी के लिए कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। अतः स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त ईवी का राज्य-वार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 3 तेल विपणन कंपनियों तथा 9 राज्यों को 6,562 चार्जरों की स्थापना हेतु ₹689 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत 14,000 ई-बसों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 13,800 ई-बसों के लिए संबंधित शहरों/राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) को मांग की पुष्टि-पत्र (एलओसीडी) तथा सफल बोलीदाताओं को मात्रा की पुष्टि-पत्र (एलओसीक्यू) जारी किए जा चुके हैं। सूरत तथा हैदराबाद ने क्रमशः 600 तथा 915 इलेक्ट्रिक बसों के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चयनित बोलीदाताओं को अपनी ई-बस के प्रोटोटाइप का अनुमोदन प्राप्त कर बसों की तैनाती करना अपेक्षित है।

(ग): इस संबंध में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, पीएम ई-ड्राइव, फेम-II तथा सरकार की अन्य स्कीमों/नीतियों के समर्थन से ईवी की पैठ वित्त वर्ष 2019-20 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.2 प्रतिशत हो गई है।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) ने अपने ईवी मॉडलों का स्थानीयकरण किया है तथा अपने ईवी मॉडलों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

(घ): देशभर में पर्याप्त संख्या में ईवीपीसीएस की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 3 तेल विपणन कंपनियों तथा 9 राज्यों को 6,562 चार्जरों की स्थापना हेतु 689 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु 18,100 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 12 मई, 2021 से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" लागू की है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में 50 गीगावाट-घंटा (जीडब्ल्यूएच) क्षमता का प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण तंत्र स्थापित करना है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।

(ङ): पीएम ई-ड्राइव स्कीम को टियर-II एवं टियर-III शहरॉन तथा आकांक्षी क्षेत्रों सहित देशभर में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने तथा "विकसित भारत@2047" के विज़न को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
